न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :— 12/2017

(आर सी एम एस नम्बरः—2017/00093)

उनवान प्रकरण

1—कृपाल सिंह पुत्र महाराजसिंह जाति ठाकुर । समस्त निवासीगण ग्राम बरेठा
2—सन्तोष कुमार पुत्र रामचरन जाति ठाकुर । उप तहसील मंनिया
3—नबाव पुत्र रामलाल जाति ठाकुर । तहसील व जिला धौलपुर

.....अपीलान्टस

बनाम

1— रेखा पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति ठाकुर निवासी वरेठा तहसील धौलपुर
2—सरिता पुत्री लक्ष्मीनारायण उम्र 15 साल नावालिग सरपरस्ती मॉ रेखा पत्नी लक्ष्मीनाराण जाति ठाकुर निवासी वेरठा तहसील धौलपुर
3—अजय पुत्र लक्ष्मीनारायण । जाति ठाकुर निवासी वरेठा, उप तहसील मंनिया
4—अर्जुन पुत्र लक्ष्मीनारायण । तहसील व जिला धौलपुर
5—रूपेश पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी सौरव जाति ठाकुर निवासी वेरठा हाल आवाद कौलारा झील तहसील फतेहावाद जिला आगरा
6—आशिकी पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी बलवीर जाति ठाकुर निवासी वरेठा हाल आवाद कौलारा झील तहसील फतेहाबाद जिला आगरा
7—भूरीसिंह पुत्र रामलक्षीन जाति ठाकुर निवासी मलखान का पुरा पोस्ट बाजिदपुर तहसील फतेहाबाद जिला आगरा
8—रूपवती पत्नी रनसिंह । जाति ठाकुर , निवासी वरेठा, उप तहसील मंनिया
9—ममता पत्नी चन्द्रभान । तहसील व जिला धौलपुर
10—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1350
दिनांक 6.6.2016 ग्राम वरेठा
तहसीलदार धौलपुर

उपस्थिति अभिभाषक :—

अपीलान्ट की ओर से :— श्री सुरेशचन्द कटारा एडवोकेट
रेस्पो0सं01लगा06 की ओर से :—श्री हरिसिंह वधेला एडवोकेट
रेस्पो0सं010 की ओर से :—श्री गोपालनारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक : 24.08.2018

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि आराजी नम्बर 1676, 1677, 1684, 1685, 1689, 1690, 1711 बांके ग्राम वरेठा तहसील धौलपुर में लक्ष्मीनारायण, नबाव, राजकुमार पिसरान रामलाल 3/4 भाग, सोमोतीदेवी पत्नी सुधरसिंह 1/4 भाग की खातेदार काश्तकार थे एवं संयुक्त रूप से काबिज थे जिसमें लक्ष्मीनारायण व नबाव का 1/2 भाग एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा वरेठा धौलपुर में हिस्सा रहन था। सोमोती पत्नी सुधरसिंह ने उक्त आराजी में से अपना 1/4 भाग भूरीसिंह पुत्र रामलक्षीन को विक्रय कर दिया एवं नामान्तकरण संख्या 1189 दिनांक 22.4.2010 से राजस्व अभिलेख में इन्द्रांज हो चुका है। राजकुमार पुत्र रामलाल ने अपना 1/4 भाग रूपवती पत्नी रनसिंह, ममतादेवी पत्नी चन्द्रभान को विक्रय कर दिया नामान्तकरण संख्या 1204 दिनांक 27.1.2011 को स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख में इन्द्रांज किया गया है। लक्ष्मीनारायण पुत्र रामलाल ने आराजी खसरा नम्बर 1676, 1684, 1685, वांके ग्राम वरेठाा में से 1/4 भाग दिनांक 4.1.2010 को नबाव पुत्र रामलाल जाति ठाकुर एवं भूरीसिंह पुत्र रामलक्षीन जाति ठाकुर को विक्रय कर दिया और मौके पर कब्जा प्रदान कर दिया। भूरीसिंह पुत्र रामलक्षीन ने आराजी खसरा नम्बर 1676, 1684, 1685, में से 3/8 भाग एवं 1677,1689,1690,1711 दिनांक 4.5.2011 को कृपालसिंह पुत्र महाराजसिंह व सन्तोष कुमार पुत्र रामचरन जाति ठाकुर को 1/4 हिस्सा विक्रय कर दिया और मौके पर कब्जा प्रदान कर दिया। उक्त आराजी किता–7 रकवा 6 वीधा 10 विस्वा वयनामा 4.5.2011 के आधार पर भूरीसिंह पुत्र रामलक्षीन के स्थान पर कृपालसिंह पुत्र महाराजसिंह व सन्तोषकुमार पुत्र रामचरन जाति ठाकुर के नाम इन्तकाल नम्बर 1242 ग्राम वरेठा 1/4 भाग स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख में इन्द्रांज किया गया है परन्तु लक्ष्मीनारायण पुत्र रामलाल का आराजी खसरा नम्बर 1676, 1684, 1685 वांके ग्राम वरेठा का नामान्तकरण एसबीबीजे बैंक में रहन होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया। लक्षमीनारायण का देहान्त 5 वर्ष पूर्व हो गया है उसके उत्तराधिकारियों ने राजस्व कर्मचारियों से साजिश करके अपने नाम नामान्तकरण संख्या 1350 दिनांक 6.6.2016 ग्राम वरेठा अपने नाम स्वीकार करा लिया है। उक्त आराजी समस्त रहनमुक्त हो चुकी है नामान्तकरण संख्या 1351 दिनांक 6.6.2016 को स्वीकार हो चुका है। आराजी खसरा नम्बर 1677, 1689, 1690, 1711 ग्राम वरेठा रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 व 9 क्रेताओं के नाम स्वीकार हो चुका है लेकिन राजस्व कर्मचारी अपीलान्ट के नामान्तकरण को दर्ज करने से टालमटूल करते है। अतः नामान्तकरण संख्या 1350 दिनांक 6.6.2016 ग्राम बरेठा तहसील धौलपुर विरासत आदेश तहसीलदार धौलपुर दिनांक से असन्तुष्ठ होकर अपीलान्टस ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि यह कि आदेश दिनांक 6.6.2016 तहसीलदार धौलपुर नामान्तकरण संख्या 1350 वांके ग्राम वरेठा कानून के खिलाफ होने के कारण काबिल निरस्ती है। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का पति व 2 लगा06 का पिता लक्ष्मीनारायण आराजी खसरा नम्बर 1676, 1684, 1685 ग्राम वरेठा को दिनांक 4.1.2010 को अपीलान्ट संख्या–3 नबाव व रस्पोडेन्ट संख्या–7 भूरीसिंह को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा विक्रय कर चुका था मौके पर

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

कब्जा प्रदान कर चुका था विक्रय के पश्चात ही लक्ष्मीनारायण पुत्र रामलाल के अधिकार व हित समाप्त हो गए थे और केताओं को अधिकार प्राप्त हो गए थे अतः लक्ष्मीनारायण के उत्तराधिकारियों को कोई अधिकार व हित निहित नहीं है राजस्व कर्मचारियों से साजिश करके लक्ष्मीनारायण के उत्तराधिकारियों के द्वारा अपीलान्ट की वैक पर नामान्तकरण स्वीकार कराया गया है जो अवैध व शून्य है। अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं कया गया। राजस्व कर्मचारियों ने नामान्तकरण से पूर्व कब्जा बावत कोई जांच नहीं की। नामान्तकरण की समस्त कार्यवाही प्रारम्भ से अवैध व शून्य है। नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 15.5.2017 को रेस्पोडेन्ट द्वारा विक्रय करने की गांव में बातचीत करने पर हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी अपील जानकारी की तिथि से अन्दर अवधि पेश है फिर भी प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम प्रथक से प्रस्तुत हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 1350 ग्राम वरेठा दिनांक 6.6.2016 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट की खरीदशुदा आराजी पर नामान्तकरण स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के सर्मथन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल वयनामा छाया प्रति लक्ष्मीनारायण पुत्र रामलाल वहक नबाव व रामलाल,भूरीसिंह पुत्र रामलछिन दिनांक 4.1.2010, नकल वयनामा छाया प्रति भूरीसिहं पुत्र रामलछिन वहक कृपालसिंह पुत्र महाराजसिंह, सन्तोष कुमार पुत्र रामचरन दिनांक 4.5.2011, नकल छाया प्रति जमाबन्दी संख्या 225 ग्राम वरेठा सम्बत 2066 से 2069, नकल सत्य प्रतिलिपि नामान्तकरण संख्या 1350, 1351 ग्राम वरेठा एवं नकल जमाबन्दी संख्या 227 सम्बत 2070 से 2073 ग्राम वरेठा तहसील धौलपुर पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगा0 6 की ओर से श्री हरीसिंह वधेला एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–10 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये तथा शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं हुये अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगा09 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि लक्ष्मीनारायण पुत्र रामलाल ने ख0न0 1676,1684,1685 में से 1/4 भाग का वयनामा दिनांक 4.1.2010 को नबाव पुत्र रामलाल, भूरीसिंह पुत्र रामलछिन व हिस्सा बराबर भाग का किया। भूरीसिंह पुत्र रामलछिन ने वयनामा दिनांक 4.5.2011 को आराजी ख0न0 1676,1684,1685 में से 3/8 भाग व खसरा नम्बर 1677,1689,1690,1711 में से 1/4 भाग कृपालसिंह पुत्र महाराजसिंह व सन्तोष कुमार पुत्र रामचरन को किया। भूरीसिंह के स्थान पर नामान्तकरण संख्या 1242 ग्राम वरेठा 1/4 भाग स्वीकार किया एवं 1/8 भाग लक्ष्मीनारायण नहीं किया। लक्ष्मीनारायण अपना हिस्सा दिनांक 4.1.2010 को विक्रय कर चुका है उसी दिन उसके अधिकार समाप्त हो चुके थे। अतः वारिसान का नाम

ति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

लक्ष्मीनारायण की मृत्यु के वाद नामान्तकरण संख्या 1350 ग्राम वरेठा दिनांक 6.6.2016 को स्वीकार किया गया है, वह अवैध व शून्य है एंव काविल निरस्ती है। जो आदेश प्रारम्भ से शून्य है उन पर म्याद का प्रश्न लागू नहीं होता है। नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया नामान्तकरण के समय कब्जा बावत कोई टिप्पणी नहीं की। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी कृषि भूमि का विक्रय कर दिया जाता है तो ऐसा व्यक्ति विक्रय के पश्चात कृषक नहीं रह जाता है। लक्षमीनारायण पुत्र रामलाल ने विवादित आराजी में से 1/4 भाग विक्रय अपने जीवन काल में दिनांक 4.1.2010 को वयनामा कर दिया कब्जा सौप दिया तो लक्ष्मीनारायण पुत्र रामलाल खातेदार नहीं रहा न ही कब्जा रहा। लक्ष्मीनारायण पुत्र रामलाल से अपीलान्ट नबाव, भूरीसिंह ने सम्पत्ति क्रय की कब्जा प्राप्त किया। भूरीसिंह ने विक्रय कर दिया तो मृतक लक्ष्मीनारायण के वारिसान के नाम नामान्तकरण तस्दीक नामान्तकरण संख्या 1350 ग्राम वरेठा दिनांक 6.6.2016 को किया गया वह अवैध है क्योंकि अपीलान्ट ने सम्पत्ति मृतक लक्ष्मीनारायण से क्रय की है। नामान्तकरण अवैध व काविल निरस्ती है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में ए आई आर 1954 पेज 340, आर आर डी 1979 पेज 220, आर आर डी 1982 पेज 332, आर आर डी 1979 पेज 1, आर आर सी 1999 पेज 291, डी एन जे(राज.) 2017 पेज 107 की नजीरें पेश कर अपील, अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि लक्ष्मीनारायण के देहान्त के उपरान्त उनके विधिक उत्तराधिकारीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा06 है जिन्होने उनका समस्त तर्का प्राप्त किया है एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त विरासतन नामान्तकरण संख्या 1350 खोला गया जो पूर्ण रूप से वैध है। मौके पर रैस्पोडेन्ट काबिज काश्त है। अपील म्याद वाहर प्रस्तुत की गई है देरी का कोई कारण स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। लक्ष्मीनारायण पुत्र रामलाल ने आराजी खसरा नम्बर 1676, 1684, 1685, वांके ग्राम वरेठा में से 1/4 भाग दिनांक 4.1.2010 को नबाव पुत्र रामलाल जाति ठाकुर एवं भूरीसिंह पुत्र रामलक्षीन जाति ठाकुर को विक्रय कर दिया। भूरीसिंह पुत्र रामलक्षीन ने आराजी खसरा नम्बर 1676, 1684, 1685, में से 3/8 भाग एवं 1677,1689,1690,1711 दिनांक 4.5.2011 को कृपालसिंह पुत्र महाराजसिंह व सन्तोष कुमार पुत्र रामचरन जाति ठाकुर को 1/4 हिस्सा विक्रय कर दिया। उक्त आराजी किता–7 रकवा 6 वीधा 10 विस्वा वयनामा 4.5.2011 के आधार पर भूरीसिंह पुत्र रामलक्षीन के स्थान पर कृपालसिंह पुत्र महाराजसिंह व सन्तोषकुमार पुत्र रामचरन जाति ठाकुर के नाम इन्तकाल नम्बर 1242 ग्राम वरेठा 1/4 भाग स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख में इन्द्रांज किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का पति व 2 लगा06 का पिता लक्ष्मीनारायण आराजी खसरा नम्बर 1676, 1684, 1685 ग्राम वरेठा को दिनांक 4.1.2010 को अपीलान्ट संख्या–3 नवाव व रस्पोडेन्ट संख्या–7 भूरीसिंह को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा विक्रय कर चुका था विक्रय

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

के पश्चात ही लक्ष्मीनारायण पुत्र रामलाल के अधिकार व हित समाप्त हो गए थे और केताओं को अधिकार प्राप्त हो गए थे अतः लक्ष्मीनारायण के उत्तराधिकारियों का कोई अधिकार व हित निहित नहीं है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी कृषि भूमि का विक्रय कर दिया जाता है तो ऐसा व्यक्ति विक्रय के पश्चात कृषक नहीं रह जाता है। लक्षमीनारायण पुत्र रामलाल ने विवादित आराजी में से 1/4 भाग विक्रय अपने जीवन काल में दिनांक 4.1.2010 को वयनामा कर दिया कब्जा सौप दिया तो लक्ष्मीनारायण पुत्र रामलाल खातेदार नहीं रहा न ही कब्जा रहा। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है तथा उक्त प्रकरण को हम नायव तहसीलदार मंनिया को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि अपील नामान्तकरण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण संख्या–1350 दिनांक 6.6.1016 बांके ग्राम वरेठा उप तहसील मंनिया अपीलान्ट को पूर्व में विक्रीत भूमि ख0न0 1676, 1684, 1685 का हिस्सा 1/8 की सीमा तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण नायव तहसीलदार मंनिया को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह खरीदशुदा विक्रय विलेख के प्रभाव को ध्यान में रखते हुये पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर पुनः उचित आदेश पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार धौलपुर को उनके नामान्तकरण पत्रावली के साथ संलग्न कर भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner